

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलेज संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NARESH	RJSK201933 024631	Special Education	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDELA (219224)	SIKAR	CHURU	SETH RADHAKISHAN BIHANI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HANUMANGARH TOWN (212330)	HANUMANGARH	BIKANER

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कर्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके संबंधित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण कराया जाये। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कर्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कर्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जाये।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कर्मिक/निलम्बित कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कर्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करवाये।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कर्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।

सत्यमेव जयते


(गौरव अग्रवाल)


आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/2022

दिनांक:-30-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कर्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन कराये।
- संबंधित कर्मिक
- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर